

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 410/2019

भंवर लाल

—अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल (भू-अभिलेख), राजस्थान, अजमेर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण दिनांक : 16.09.2023

आदेश की दिनांक : 23.05.2024

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य  
असलम मेहर, सदस्य

## आदेश

1. प्रकरण की पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री हरीश जांगिड़ अनुपस्थित। प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित। उन्होंने अवगत कराया कि प्रस्तुत अपील वर्ष 2019 में पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश के बावजूद नोटिस पेश नहीं किए गए हैं। अतः प्रकरण के आदेशों की अनुपालना नहीं करने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया।
2. पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिकरण के आदेश दिनांक 18.09.2019 द्वारा प्रकरण में नोटिस दस्ती अधिवक्ता अपीलार्थी को दिए जाने हेतु आदेशित किया गया है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर नोटिस प्रस्तुत किए जाने के कोई तथ्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अपील विगत लगभग 5 वर्ष से लम्बित है और अपीलार्थी की तरफ से प्रत्यर्थागण के नोटिस जारी किए जाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
3. लिहाजा, अधिकरण के आदेश की अनुपालना नहीं किए जाने के आधार पर अपील, अपीलार्थी खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)  
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य